उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-I/28820/2025-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/CN-5723 दिनांक 25-10-2025

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 08-08-2025 को सम्पन्न 214वीं बैठक में मद संख्या-214 (23) के संदर्भ में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन के पत्र संख्या-30-संयुक्त सचिव (अनु0कार्य0)/ पाकालि/2021, दिनांक 25.06.2021 एवं पत्र संख्या-84/संयुक्त सचिव (अनु0 कार्य0)/पाकालि/2021 दिनांक 16-12-2021 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है तथा कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-840-ज0श0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2018-21-प्र0सु0/2001 दिनांक 08.08.2018 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

क्र0 सं0	वर्तमान व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-840-ज0श0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2018-21-प्र0सु0/2001, दिनांक 08.08.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर तक के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के अधिकार डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक को दिये गये है।	इसमें आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08-08-2018 के बिन्दु संख्या-2 के उपरान्त निम्न बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया जाता है :- 2(A) किसी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों में से किसी कार्मिक का स्थानान्तरण अन्य डिस्कॉम में होने पर भी उसी डिस्कॉम द्वारा जाँच आदि की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी जिस डिस्कॉम से सम्बन्धित प्रकरण होगा। जाँच के पश्चात स्थानान्तरित कार्मिक के विषय में निर्णय हेतु पत्रावली वर्तमान तैनाती के डिस्कॉम को प्रेषित की जायेगी। 2(B) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2) एवं समकक्ष के विरुद्ध सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जाँच, परीक्षण इत्यादि समस्त अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धित डिस्कॉम द्वारा ही की जायेगी तथा निर्णय हेतु पत्रावली अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-840-ज0श0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2018-21-प्र0सु0/2001 दिनांक 08.08.2018 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे तथा इस परिप्रेक्ष्य में संगत सेवा नियम/विनियमावली उक्त सीमा तक स्वतः संशोधित माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0।

सं०-I/28820/2025-(i)ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/ तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. प्रबन्ध निदेशक (पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल), विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/ मेरठ, एवं केस्को, कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक, (पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल), विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता, (पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल), विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाई ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक, (लेखा प्रशासन/वित्त प्रबन्धन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. पुस्तकालयाध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

25/10/25

(विनोद कुमार मिश्र)
अपर सचिव-प्रथम